

# कार्यालय प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश (केन्द्रीय): दिल्ली

## परिपत्र

सभी गैर दसवीं पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (स्थापना विभाग जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली), (स्थापना विभाग प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश (केन्द्रीय), दिल्ली) एवं (स्थापना विभाग न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, दिल्ली) जिन्होंने इस कार्यालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम जो दिनांक 09.11.2009 से 19.01.2010 के बीच हुआ था और किसी कारणवश नहीं प्राप्त किया था और जिसके कारण उनका ग्रेड पे रुपये 1800/- नहीं हुआ है, उन शेष कर्मचारियों को यह सूचित किया जाता है कि वो अपना नाम प्रशिक्षण हेतु अतिशीघ्र इस कार्यालय को भेजें ताकि इस विषय में उचित कार्यवाही की जा सके।

संजीव कुमार सिंह  
12.10.11

(संजीव कुमार सिंह)  
प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश (केन्द्रीय)  
दिल्ली

संख्या...../प्र0दी0न्या0/स्था0/2011

दिनांक, दिल्ली.....12/10/11

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु परिपत्र निम्नलिखित को प्रेषित किया जाता है:-

1. समस्त माननीय जिला न्यायाधीश, तीस हजारी, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, रोहिणी, द्वारका, व साकेत न्यायालय परिसर, दिल्ली।
2. समस्त न्यायिक अधिकारी, तीस हजारी, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, रोहिणी, द्वारका, व साकेत न्यायालय परिसर, दिल्ली।
3. समस्त प्रशासनिक अधिकारी, अधीक्षक व अनुभाग प्रमुख, तीस हजारी, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, रोहिणी, द्वारका, व साकेत न्यायालय परिसर, दिल्ली।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
5. रजिस्ट्रार, सेना बल न्यायाधिकरण, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली।
6. वेबसाइट कमेटी (अंग्रेजी/हिन्दी), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
7. सूचना पट, तीस हजारी, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, रोहिणी, द्वारका, व साकेत न्यायालय परिसर, दिल्ली।

कृपया ध्यान दें: उपरोक्त सभी न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, अधीक्षक, अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र के बारे में अधीनस्थ गैर दसवीं पास कर्मचारियों तक सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित करें।

संजीव कुमार सिंह  
12.10.11

प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश (केन्द्रीय)  
दिल्ली